राजस्थान राज्य

बनाम

मुंशी

12 अक्टूबर 2007

[एस बी सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी न्यायाधीश]

अपराध अंतर्गत धारा 376 दंड संहिता 1860:

नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार- एफआईआर- जाँच विचारणीय न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 376 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया-उच्च न्यायालय ने अपील पर उलट दिया-आदेश उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के पुनः अवलोकन में गलती की-अभियोक्त्री की साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 4 की साक्ष्य से पुष्टि होती है-मौखिक साक्ष्य की पुष्टि अनुसंधान अधिकारी द्वारा जप्त किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों से होती है-जो बलात्कार के अपराध को साबित करता है और घटनास्थल को भी- चिकित्सकीय रिपोर्ट यह दर्शाती है कि अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए गए-अतः विचारणीय न्यायालय के आदेश को पुनः बहाल किया गया परंतु सजा

की अवधि 10 साल कठोर कारावास से घटाकर 7 वर्ष कठोर कारावास की गई-

घटना वाले दिन प्रत्यर्थी ने अभियोक्त्री पीडब्ल्यू 5 जब गांव के बाहर स्थित कुएं से पानी लेने गई, को पकड़ा एवं उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के घर पहुंचने पर उसने अपनी मां पीडब्ल्यू 3 एवं पिता पीडब्ल्यू 2 को घटना के बारे में बताया। पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। चिकित्सा अधिकारी पीडब्ल्यू 1 के द्वारा की गई चिकित्सा जांच में पीड़िता के शरीर पर कई चोटों के साथ उसके गुप्तांग से खून बहना एवं उसके हाइमेन का सूजन के साथ टूटा होना पाया गया। पीड़िता की उम्र का आंकलन करने हेतु किया गया रेडियोलॉजिकल परीक्षण ने यह दर्शाया की वह 17 वर्ष से अधिक उम्र की है। पुलिस ने बाद जांच रिपोर्ट पेश की। विचारणीय न्यायालय ने अभियोजन गवाहों की साक्ष्य को आधार बनाते हुए एवं पुलिस के द्वारा मौका स्थल से बरामद पीड़िता के फटे हुए अंडरवियर को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को धारा 376 भा.द.स. के दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया और उसे 10 साल की कठोर कारावास से दंडित करने का आदेश दिया। अभियुक्त के द्वारा विचारणीय न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। जिस वजह से यह अपील दायर हुई है।

अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले के तथ्यों से यह जाहिर आया है कि शारीरिक संबंध सहमति से किया गया था।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह माना-

1.1 यह न्यायालय इस स्व अधिरोपित प्रतिबंध जो कि न्यायालय को दोषमुक्ति के खिलाफ दायर अपील में साक्ष्य के आंकलन के समय पालन करना होता है से वाकिफ है एवं यदि उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते समय आदेश में ठोस कारण दिये हैं तो ऐसे आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। परंतु हस्तगत मामले में उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के आंकलन में गंभीर त्रुटि की है एवं उच्च न्यायालय का निष्कर्ष न केवल गलत है बल्कि साक्ष्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित है। इसलिए इस न्यायालय ने साक्ष्य का पुनः अवलोकन किये जाने का निर्णय लिया है। [पैरो 3- 285 एफ]

1.2 इस मामले में मुख्य साक्ष्य स्वयं अभियोक्त्री पीडब्ल्यू 5 की ही है] उसने यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह गांव के बाहर स्थित कुएं पर गई थी जहां से अभियुक्त ने उसको उठाया] जो उसे बाजरे के खेत में ले गया एवं वहां उसका बलात्कार किया। उसने यह भी कथन किया है कि जब उसके साथ बलात्कार हो रहा था उस समय वह सहायता के लिए किसी को चेतावनी@आवाज देने के लिए असमर्थ थी। परंतु जैसे ही वह

इस हेतु समर्थ हुई उसने सहायता के लिए चिल्लाया जिसे उसकी दादी पीडब्ल्यू 4 एवं अन्य व्यक्ति पीडब्ल्यू 6 ने सुना एवं वो लोग घटनास्थल पर आए एवं आरोपी@हमलावर को भागते हुए देखा। इस कहानी की पुष्टि पीडब्लू-4 के साक्ष्य से भी होती है। साक्ष्य में यह भी पाया गया कि जब पीड़िता घर वापस लौटी तो उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया] जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना देरी के दर्ज कराई गई एवं उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया जिसमें उसके शरीर पर ताजा निशान का होना एवं पिछले 24 घंटे के भीतर उसके साथ शारीरिक यौन संबंध होना जाहिर आया। यह भी पाया गया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि पुलिस अधिकारी के द्वारा घटनास्थल से उठाए गए अंडरवियर का टुकड़ा जो पीड़िता के द्वारा पहनी गई अंडरवियर से मिलान खाती है से भी होती है। इस तथ्य का अध्ययन यदि रौंदे हुए बाजरे के खेत की साक्ष्य के साथ किया जाए तो बलात्कार होने के तथ्य के साथ-साथ घटना का स्थल भी स्पष्ट रूप से साबित होता है। [पैरा 4 285&जी 286-ए-डी]

1.3 यह तथ्य भी कि हाइमेन ताजा ही टूटा हुआ था एवं पीड़िता की योनि कठिनाई के साथ केवल एक ही उंगली ले सकती है यह दर्शाता है कि पीड़िता शारीरिक संभोग की आदी नहीं थी एवं उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ संभोग किया गया एवं एवं विशेष रूप से अगर सहमति का मामला होता तो पीड़िता का अंडरवियर फटा हुआ नहीं पाया जाता। इसलिए

विचारणीय न्यायालय के आदेश को बहाल किया जाता है परंतु विचारणीय न्यायालय द्वारा आदेशित 10 साल के कठोर कारावास की सजा को कम करके 7 साल की कठोर कारावास की सजा में तब्दील की जाती है। सजा का शेष भाग जैसा है वैसा ही रहेगा। [पैरा 5 और 6 286&ई एफ जी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 928/2001

राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के एस बी क्रिमिनल अपील सं 72/1996 में निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 17-5-1999 के खिलाफ।

नवीन सिंह अरूणेश्वर गुप्ता एएजी - अपीलार्थी की ओर से।

के एल जंजीनी और पंकज कुमार सिंह - प्रत्यर्थी की ओर से।

यह निर्णय जस्टीस हरजीत सिंह बेदी के द्वारा पारित किया गया।

1- यह अपील जरिये विशेष अनुमति याचिका निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न होती हैः

2- मुंशी हस्तगत अपील का प्रत्यर्थी के खिलाफ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश करौली के द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 376 भादस का आरोप सुनाया गया उक्त धारा में उसे दोषी ठहराया गया एवं उक्त अपराध वास्ते 10 साल के कठोर कारावास एवं 1000@- रूपये के जुर्माने से दंडित इन आरोपों के आधार पर किया गया कि दिनांक 17 सिंतबर 1994 को उसने पीडब्ल्यू 5 राजकुमारी को पकड लिया जब वह दोपहर के तीन बजे गांव के

बाहर स्थित कुएं से पानी लेने गई थी और पकड़ने के बाद उसका बलात्कार किया। राजकुमारी ने घर आकर सारी घटना अपनी माता पीडब्ल्यू 3 शारदा एवं पिता पीडब्ल्यू 2 रमेश को बताई जिस पर उसी दिन रमेश ने शाम के साढे छह बजे पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद एसआई कमलेश कुमार शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और देखा कि जिस स्थान पर बलात्कार किया गया उस स्थान पर बाजरे की फसल रौंदी हुई है और वहां से राजकुमारी के अंडरवियर के फटे हुए कुछ टुकड़े भी बरामद किए। डाॅ नंद लाल शर्मा पीडब्ल्यू 1 के द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करने पर पीड़िता के शरीर पर कई चोटों के साथ उसके गुप्तांग से खून का बहना वहां पर सूजन और उसके हाइमेन का टूटा होना पाया गया। पीड़िता की उम्र का निर्धारण करने वास्ते किये गये रेडियोलॉजिकल परीक्षण से उसकी उम्र 17 वर्ष से अधिक परंतु 19 वर्ष से कम होना जाहिर आया। विचारणीय न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 5 सितंबर 1995 में यह माना कि अभियोजन पक्ष की कहानी स्वयं राजकुमारी और उसकी दादी पीडब्ल्यू 4 स्वरूपि के बयानों पर आधारित है (क्योंकि पीडब्ल्यू 6 उमेश को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया) जो कि घटनास्थल पर पीड़िता के सहायता के लिए चिल्लाने पर आई एवं अभियुक्त को हमला करने के पश्चात घटनास्थल से भागते हुए देखा। यह भी पाया गया कि उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि रमेश पीडब्ल्यू 2 घटना का सूचितकर्ता एवं पीडब्ल्यू 3 शारदा जिसने यह कथन किया कि राजकुमारी

चोटों एवं खरोंचों के निशान के साथ घर आई। घर आकर उसने संपूर्ण कहानी बताई के बयानों से भी होती है। न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्यों को आधार बनाते हुए तथा घटनास्थल से उठाए गये अंडरवियर के फटे हुए टुकड़े से संबंधित परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने अपील में यह मानते हुए दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया कि राजकुमारी की कहानी अधिक अप्राकृतिक प्रतीत होती है, विशेष रूप से दोपहर के 3 बजे गांव के पास ही किसी का बलात्कार किया जाना विश्वसनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी माना कि पीडब्ल्यू 4 के बयान विश्वसनीय नहीं है। न्यायालय ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष की यह कहानी कि पुलिस के द्वारा मौका स्थल से निरीक्षण करते हुए फटी हुई अंडरवियर के टुकड़े बरामद किये गये भी विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि इस बाबत गवाह पीडब्ल्यू 13 के.के. शर्मा के बयान के कथन राजकुमारी के बयानों से मेल नहीं खा रहे थे। हस्तगत अपील इन परिस्थितियों के साथ इस न्यायालय के समक्ष पेश आई है।

3- यह न्यायालय इस स्व अधिरोपित प्रतिबंध जो कि न्यायालय को दोषमुक्ति के खिलाफ दायर अपील में साक्ष्य के आंकलन के समय पालन करना होता है से वाकिफ है एवं यदि उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते समय आदेश में ठोस कारण दिये हैं तो ऐसे आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। परंतु हस्तगत मामले में उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के

आंकलन में गंभीर त्रुटि की है एवं उच्च न्यायालय का निष्कर्ष न केवल गलत है बल्कि साक्ष्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित है। इसलिए इस न्यायालय ने साक्ष्य का पुनः अवलोकन किये जाने का निर्णय लिया है।

4- इस मामले में मुख्य साक्ष्य स्वयं अभियोक्त्री पीडब्ल्यू 5 की ही है, उसने यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह गांव के बाहर स्थित कुएं पर गई थी जहां से अभियुक्त ने उसको उठाया, जो उसे बाजरे के खेत में ले गया एवं वहां उसका बलात्कार किया। उसने यह भी कथन किया है कि जब उसके साथ बलात्कार हो रहा था उस समय वह सहायता के लिए किसी को चेतावनी@आवाज देने के लिए असमर्थ थी। परंतु जैसे ही वह इस हेतु समर्थ हुई उसने सहायता के लिए चिल्लाया, जिसे उसकी दादी पीडब्ल्यू 4 एवं अन्य व्यक्ति पीडब्ल्यू 6 ने सुना एवं वो लोग भी घटनास्थल पर आए एवं आरोपी@हमलावर को भागते हुए देखा। इस कहानी की पुष्टि पीडब्लू-4 के साक्ष्य से भी होती है। साक्ष्य में यह भी पाया गया कि जब पीड़िता घर वापस लौटी तो उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना देरी के दर्ज कराई गई एवं उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया जिसमें उसके शरीर पर ताजा निशान का होना एवं पीछले 24 घंटे के भीतर उसके साथ शारीरिक यौन संबंध होना जाहिर आया। यह भी पाया गया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि पुलिस अधिकारी के द्वारा घटनास्थल से उठाए गए

अंडरवियर का टुकड़ा जो पीड़िता के द्वारा पहनी गई अंडरवियर से मिलान खाती है से भी होती है। इस तथ्य का अध्ययन यदि रौंदे हुए बाजरे के खेत की साक्ष्य के साथ किया जाए तो बलात्कार होने के तथ्य के साथ-साथ घटना का स्थल भी स्पष्ट रूप से साबित होता है।

5- इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि मामले के तथ्यों से यह जाहिर आता है कि शारीरिक संबंध सहमति के साथ बनाए गए थे। परंतु न्यायालय का यह मानना है कि ऐसा हस्तगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से नहीं जाहिर होता है। चूंकि हाइमेन ताजा ही टूटा हुआ था एवं पीड़िता की योनि कठिनाई के साथ केवल एक ही उंगली ले सकती है यह दर्शाता है कि पीड़िता शारीरिक संभोग की आदी नहीं थी एवं उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ संभोग किया गया एवं एवं विशेष रूप से अगर सहमति का मामला होता तो पीड़िता का अंडरवियर इस प्रकार फटा हुआ नहीं पाया जाता। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप दोषमुक्ति को अपास्त किया जाता है।

6- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अंत में यह बताया कि यह घटना 1994 में हुई थी जिस वजह से सजा की अवधि के बिंदु पर पुनः सुना जाना आवश्यक है विशेषतः उस परिस्थिति में जब माननीय उच्च

न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला बनना नहीं पाया है। परिणामस्वरूप विचारणीय न्यायालय द्वारा आदेशित 10 साल के कठोर कारावास की सजा को कम करके 7 साल की कठोर कारावास की सजा में तब्दील की जाती है। सजा का शेष भाग जैसा है वैसा ही रहेगा।

7- अपील उपरोक्त हद तक स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कुमार मोहन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।